



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49156

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3335 वर्ष 2026

हरिश्याम सिंह चंदेल और 19 अन्य

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : अंकिता तिवारी, अर्जुन शर्मा, रवितेन्द्र प्रताप सिंह चंदेल

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी. एस. सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. रिट याचियों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान याचिका में प्रार्थना प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को शासनादेश के अनुसार एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान करते हुए 19 वर्ष की सेवा की गणना करने के लिए याचियों द्वारा कांस्टेबल (आरक्षी) के रूप में नियुक्त होने से पूर्व प्रक्रिया के अधीन रहने के दौरान व्यतीत की गई सेवा अवधि पर विचार करने का निर्देश देने के लिए है।
3. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने दीवानी प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 44330 वर्ष 2012 (घनश्याम तिवारी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2012 के साथ-साथ समान याचिका जो रिट ए संख्या 6429 वर्ष 2018 (दिनेश कुमार शुक्ला और 14 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य) है, जिसका निर्णय 22.02.2018 को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया गया था, का विवाद नहीं किया। दिनांक 22.02.2018 के आदेश को इस न्यायालय के अध्याय 8 नियम 5 के अंतर्गत अंतः-न्यायालय अपील (इंद्रा कोर्ट अपील) के समक्ष चुनौती दी गई है और उसी का निर्णय निर्णय एवं आदेश दिनांक 07.09.2016 के माध्यम से किया गया है जिसमें दीवानी प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या **44330** वर्ष **2012** (घनश्याम तिवारी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 07.09.2012 के अनुसरण में याचियों के दावे को न्यायोचित ठहराया गया था।

4. मामले के गुणावगुण में जाए बिना बार के समक्ष इस प्रकार किए गए निवेदन पर विचार करते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना), पुलिस मुख्यालय, लखनऊ को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर रिट याचियों के दावे का निर्णय करने के निर्देश के साथ रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

11 मार्च, 2026

आशु

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।